

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III---खण्ड 4 PART III---Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਦਂ. 109] No. 109] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2005/आषाढ़ 28, 1927 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2005/ASADHA 28, 1927

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2005

सं. 7-1/92-के.हो.प.—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59यां) की थारा 33 के खण्ड (ड), (ढ), (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1982 में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (रिजस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2005 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (राजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1982 में निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

''परिशिष्ट

भाग-I

(विनियम 3 देखिए)

क्रम सं. 1 अर्हताएं : प्राप्त करने की तारीख	नाम	पिता/पित का नाम 3		पता: (क) नि (ख) व्य	वास स्थान वसाय	अर्हताएं : (क) साधारण (ख) आयुर्विज्ञान संबंधी 5		
	2			4				
	उस संस्था का नाम जहां से रजिस्टर किए जाने योग्य अर्हताएं प्राप्त की गई थीं	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत हैं तथा राज्य रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण की तारीख	राज्य रजिस्टर में दिया गया रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	अतिरिक्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं तथा उन्हें प्राप्त करने की तारीख और अर्हता प्रदत्त करने वाले प्राधिकारी का नाम	यदि केन्द्रीय रजिस्टर से हटाया गया है तो उसकी तारीख और उसका/उस के कारण	टिप्पणियां	
6	7	8	9	10	11	12	13	

भाग-11

(विनियम 3 देखिए)								
क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता : (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत और राज्य रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला प्राधिव	रजिस्ट्रीकरण की			
1	2	3	4	5	6			
राज्य रजिस्ट	र में दिया गया र्रा	•	दे केन्द्रीय रजिस्टर से हटाया गय का/उसके कारण	ा है तो उसकी तारीख और	टिप्पणियां			
	7		8		9			
				,	डाललित वर्मा रिजस			

[विज्ञापन III/IV/147/2005/असा.]

टिप्पणी: मल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक 2, असाधारण भाग III, खंड 4, तारीख़ 11 मई 1983 और संशोधन 25 जुलाई, 1983 को प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् संशोधन राजपत्र के उक्त खंड में 7 मार्च, 1995 एवं 12 सितम्बर, 2002 को प्रकाशित किये गए।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY **NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July 2005

No. 7-1/92-CCH.—In exercise of the powers conferred by clauses (m), (n) and (o) of section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) the Central Council of Homoeopathy, with the Central Government hereby makes the following regulation to amend the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982 namely:—

- 1. (1) These Regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Registration) Amendment Regulation, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982, the following Appendix shall be substituted, namely:---

"APPENDIX Pari-I (See regulation 3)

Serial No.	Name. Father's/Husband's name			Address : (a) Residential (b) Professional			Qualification (a) General (b) Medical			
1	2		3				4		5	
Dates on Which qualifications were obtained.	Name of institution from which registerable Qualification were obtained		State in which Registered and the authority granting the State Registration		Registration number given in the State Register		Additional medical qualification with date of obtaining and name of authority granting the qualification		Date and reason(s) for removal from the Central Register, if any	
6	7	,	8	9	10		11	1	12	13
	,			Part- (See regul						
Serial No.	Name	Father's/Husband's Name		(a) Residential and		and th	te in which registered I the authority granting State Registration.		Date of registration in the State Register	
1	2	3		4	5		5	6		
Registration n the State Regi		en in	Date and re	ason(s) for ren	noval from	the C	entral Register, if	any	. Re	marks
7					8			9 ,,		

[ADVT. III/IV/147/2005/Exty.]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide Notification No. 2 Extraordinary, Part-III, Section 4, dated 11th May, 1983 and subsequent amendments were published in the said section of the Gazette on March 7, 1995 and September 12, 2002.